भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3867
06/04/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्र के बढ़ते स्तर का प्रभाव

3867. श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आने वाले दशक में समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए निचले तटीय क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या समुद्र के बढ़ते स्तर और तटीय कटाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्र के स्तर में वृद्धि होने के कारण भारत ने अपनी मूल तटरेखा का एक हिस्सा खो दिया है और यदि हां, तो वर्ष 1950 से 2021 तक तटरेखा में हुए परिवर्तन का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार की जलवायु परिवर्तन के पीड़ितो को सहायता देने का उनका पुनर्वास करने की योजना है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तटीय और नदी कटाव के कारण लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने के लिए "तटीय और नदी कटाव से विस्थापित लोगों के लिए शमन और पुनर्वास उपाय" पर एक नीति का मसौदा तैयार किया है।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संगठन, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने भारतीय तट के समानांतर समुद्र के स्तर में वृद्धि के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए तटीय सुभेद्यता सूचकांक (CVI) मानचित्रण किया है। इस कार्य ने सात इनपुट मापदंडों: तटरेखा परिवर्तन दर, समुद्र-स्तर परिवर्तन दर, तटीय उन्नयन, तटीय ढलान, तटीय भू-आकृति विज्ञान, महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई और ज्वारीय अवधि का उपयोग करके मानचित्र तैयार किए हैं । तटरेखा सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और हितधारकों के साथ "भारतीय तट के समानांतर तटरेखा परिवर्तन के राष्ट्रीय आकलन" पर एक रिपोर्ट साझा की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने संस्थानों के माध्यम से तटीय कटाव के खतरों से निपटने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी समाधान और परामर्श भी प्रदान कर रहा है।

(ग) जी हाँ । राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR), चेन्नई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जो रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके 1990 से तटरेखा के कटाव की निगरानी कर रहा है। कुल मिलाकर, 1990 से 2018 की अवधि के लिए मुख्य भूमि की 6907.18 किमी लंबी तटरेखा का विश्लेषण किया गया है । यह दर्ज किया गया कि 33.6% समुद्र तटीय रेखा में अलग-अलग श्रेणी का कटाव हो रहा है। 26.9% का कटाव वृद्धिशील प्रकृति का है और शेष 39.5% स्थिर अवस्था में है। । नीचे दी गई तालिका, राज्यवार तटीय कटाव विवरण दर्शाती है।

क्र. सं.	राज्य		तट की लंबाई (किमी में)	तट की लंबाई (किमी में)					
				कटाव		स्थिर		वृद्धि	
				किमी	%	किमी	%	किमी	%
1	पश्चिमी तट	गुजरात	1945.6	537.5	27.6	1030.9	53	377.2	19.4
2		दमन और दीव	31.83	11.02	34.6	17.09	53.7	3.72	11.7
3		महाराष्ट्र	739.57	188.26	25.5	477.69	64.6	73.62	10
4		गोवा	139.64	26.82	19.2	93.72	67.1	19.1	13.7
5		कर्नाटक	313.02	74.34	23.7	156.78	50.1	81.9	26.2
6		केरल	592.96	275.33	46.4	182.64	30.8	134.99	22.8
7	पूर्वी तट	तमिलनाडु	991.47	422.94	42.7	332.69	33.6	235.85	23.8
8		पुदुचेरी	41.66	23.42	56.2	13.82	33.2	4.42	10.6
9		आंध्र प्रदेश	1027.58	294.89	28.7	223.36	21.7	509.33	49.6
10		ओडिशा	549.5	140.72	25.6	128.77	23.4	280.02	51
11		पश्चिम बंगाल	534.35	323.07	60.5	76.4	14.3	134.88	25.2
कुल			6907.18	2318.31		2733.86		1855.03	
%				33.6		39.5		26.9	

(घ) जी हाँ । 15 वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (SDRMF) के सृजन की सिफारिश की है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर (NDRF /SDRF) शमन कोष और राष्ट्रीय और राज्य स्तर (NDMF/SDMF) प्रतिक्रिया कोष शामिल हैं। आयोग ने NDMF के तहत "कटाव को रोकने के लिए शमन उपाय" और NDRF के तहत "कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास" के लिए विशिष्ट सिफारिशें भी की हैं।

*****